जिला कार्यालय समाज कल्याण, जिला जशपुर (छ0ग0)

(जिला पंचायत भवन जशपुर (छ0ग0))

फोन नंबर 07763-223531 ई मेल - dpsw.jashpur@nic.in

निविदा हेतु विज्ञापन सूचना

क्रमांक / 221 / मु.मं.ती.या. / 2017 जशपुर, दिनांक / 05/06/2017

जिला कार्यालय समाज कल्याण जशपुर छ.ग. की ओर से मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजनांतर्गत तीर्थयात्रियों के निम्नानुसार निविदा दिनांक 27.06.2017 के संध्या 05.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

1. तीर्थयात्रियों के लिए यात्री बस किराए पर संचालित करने हेतु वाहन मालिको तथा उनके अधिकृत अभिकताओं से बंद लिफाफा में निविदा आमंत्रित की जाती है।
2. तीर्थयात्रियों के लिए भोजन व्यवस्था करने हेतु कैटरिन / होटल / ढाबा संचालकों से बंद लिफाफा में निविदा आमंत्रित की जाती है।
3. निविदा वर्ष 2017-18 के लिए मान्य होगी।
4. बस व्यवस्था के लिए निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन शुल्क 500 / - तथा भोजन व्यवस्था के लिए निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन शुल्क 100 / - उपसंचालक समाज कल्याण जशपुर के कार्यालय में नगद जमा किया जावे।
5. यात्री बस के लिए अमानत राशि 10000 / - (दस हजार रुपये मात्र) तथा भोजन व्यवस्था के लिए अमानत राशि 500 / - (पाँच सौ रुपये मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक से बैंक ड्रॉफ्ट / सावधि जमा पत्र उपसंचालक समाज कल्याण जशपुर के नाम पर देय हो।

निविदा का नियम एवं शर्तें इस कार्यालय से अथवा **www.jashpur.gov.in** के वेबसाईट पर अवलोकन किया जा सकता है।

उप संचालक,
समाज कल्याण,
जिला जशपुर (छ0ग0)

जिला कार्यालय पंचायत एवं समाज कल्याण, जिला जशपुर (छ0ग0)

फोन नंबर 07763-223531 ई मेल - dpsw.jashpur@nic.in

निविदा सूचना

क्रमांक/ /समाज कल्याण/2017 जशपुर, दिनांक /

जिला कार्यालय समाज कल्याण जशपुर छ.ग. की ओर से मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजनांतर्गत तीर्थयात्रियों के भोजन व्यवस्था हेतु होटल/ढाबा संचालकों तथा उनके अधिकृत अभिकताओं से मोहरबंद लिफाफा में निम्नांकित शर्तों के अधीन निविदा आमंत्रित की जाती है :-

1. तीर्थयात्रियों के लिए भोजन व्यवस्था जिले का लक्ष्य 370 तीर्थयात्रियो के लिए पत्थलगांव मुख्यालय में तथा जिले का लक्ष्य 36 तीर्थयात्रियो के लिए जिला मुख्यालय जशपुर में होगा।
2. आवश्यकता पड़ने पर रायगढ़ में भी तीर्थयात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था निविदादाता को करानी होगी।
3. भोजन की समस्त सामग्री की व्यवस्था निविदादाता को करना होगा। इसके लिए कार्यालय से अग्रिम राशि देय नही होगी।
4. यात्रा समाप्ति के उपरान्त तीन दिवस के भीतर निविदादाता द्वारा कार्यालय में देयक प्रस्तुत किया जावेगा।
5. भोजन बनाने का स्थान एवं समय 24 घण्टा पूर्व कार्यालय द्वारा सूचित किया जावेगा।
6. उपरोक्त शर्तो के अधीन इच्छुक कैटरर्स/होटल/ढाबा संचालक/व्यक्ति निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन शुल्क 100/- बैंक ड्राफ्ट उपसंचालक समाज कल्याण जशपुर के नाम पर देय हो। इस कार्यालय से निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकते है।
7. यात्री बस के लिए अमानत राशि 500/- (पॉच सौ रुपये मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक से बैंक ड्रॉफ्ट/सावधि जमा पत्र उपसंचालक समाज कल्याण जशपुर के नाम पर देय हो।

निविदा प्रपत्र

क्रमांक	भोजन का विवरण	दर प्रति व्यक्ति (एक समय)
1	2	3
1	चॉवल, दाल, पूड़ी, दो सब्जी, सलाद, पापड़ एवं चटनी या अचार	

निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 26.06.2017 समय अपरान्ह 03.00 बजे तक।
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 27.06.2017 समय संध्या 05.00 बजे तक।
निविदा खोलने की तिथि 28.06.2017 अपरान्ह 03.00 बजे।
निविदा खोलने का स्थान – कार्यालय उप संचालक पंचायत जशपुर (छ.ग.)

उपसंचालक,
समाज कल्याण,
जिला जशपुर (छ0ग0)

जिला कार्यालय समाज कल्याण, जिला जशपुर (छ०ग०)

(जिला पंचायत भवन जशपुर (छ०ग०))

फोन नंबर 07763-223531 ई मेल - dpsw.jashpur@nic.in

निविदा सूचना

क्रमांक / /समाज कल्याण/2017 जशपुर, दिनांक /

जिला कार्यालय समाज कल्याण जशपुर छ.ग. की ओर से मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजनांतर्गत तीर्थयात्रियों के परिवहन के लिए यात्री वाहन (बस) किराए पर संचालित करने हेतु वाहन मालिको तथा उनके अधिकृत अभिकताओं से बंद लिफाफा में निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा वर्ष 2017–18 के लिए मान्य होगी। आवश्यकता पड़ने पर अवधि बढ़ाई जा सकती है।

इच्छुक वाहन मालिक निम्न शर्तों के अधीन दिनांक 27/06/17 के संध्या 05.00 बजे तक इस कार्यालय में बंद लिफाफा में निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं :–

निविदा की शर्तें

1. निविदा प्रपत्र दिनांक 26/06/2017 के समय अपरान्ह 03.00 बजे तक इस कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा। निर्धारित समय के पश्चात निविदा प्रपत्र नहीं दी जावेगी।
2. दिनांक 28/06/17 को दोपहर 03.00 निविदा खोलने की कार्यवाही की जायेगी। निविदा खोले जाने के समय निविदाकार/अधिकृत अभिकर्ता उपस्थित रह सकते हैं।
3. निविदा प्रपत्र, आवेदन शुल्क 500/– (पाँच सौ रुपये मात्र) उपसंचालक समाज कल्याण जशपुर के कार्यालय में नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।
4. अमानत राशि रूपये 10,000.00 (दस हजार रुपये मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक से बैंक ड्रॉफ्ट/सावधि जमा पत्र **''उपसंचालक समाज कल्याण जिला जशपुर''** के नाम से निविदाकर्ता को निविदा के साथ देना होगा जिसे अमानत राशि के रूप में निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. स्वीकृत निविदाकर्ता को यात्री वाहन की पूर्ति निर्धारित समय पर अनिवार्यतः करनी होगी। अन्यथा निविदा निरस्त मानी जाकर द्वितीय दर के निविदाकर्ता को पूर्ति का आदेश दिया जा सकेगा। प्रथम निविदाकर्ता की अमानत राशि राजसात की जा सकेगी।
6. सफल निविदाकार की सुरक्षा निधि राशि बैंक ड्रापट/सावधि जमा निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने तक रखी जावेगी। शेष फर्मो की सुरक्षा निधि के बैंक ड्रापट/सावधि जमा राशि 15 दिनों के पश्चात वापस कर दी जावेगी। निविदा स्वीकृति उपरांत निविदादाता को अनुबंध राशि 50/– के स्टाम्प पेपर पर उनके स्वयं के व्यय पर प्रस्तुत करना होगा।

7. निविदा/सीलबंद लिफाफे में केवल पंजीकृत डाक /स्पीड पोस्ट अथवा सीधा कार्यालय में जमा किया जा सकता है। खुली निविदा मान्य नहीं होगा।
8. निविदा के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं अभिप्रमाणित प्रति (वाहन के रजिस्ट्रेशन बुक, फिटनेश प्रमाण–पत्र, बीमा, एवं कर प्रमाण–पत्र आदि) संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. तीर्थयात्रियों के परिवहन हेतु संचालित की जाने वाली यात्री वाहन (बस) की गुणवत्ता अच्छी हालत में होना अनिवार्य है। वाहन पर्याप्त मात्रा में POL के साथ लगाना होगा, तथा तीर्थयात्रियों को जिला/विकासखण्ड मुख्यालय से रायगढ/बिलासपुर रेल्वे स्टेशन छोड़ने एवं तीर्थयात्रा वापसी में रायगढ/बिलासपुर रेल्वे स्टेशन से जिला/विकासखण्ड मुख्यालय वापस लाने की दर शामिल होगा।
10. यात्रा प्रारंभ में तीर्थयात्रियों को जिला/विकासखण्ड मुख्यालय से रायगढ़/बिलासपुर रेल्वे स्टेशन निर्धारित समय से एक घण्टे पूर्व पहुंचाना होगा। तीर्थ यात्रियों को समय पर रेल्वे स्टेशन नहीं पहुंचाने पर उस बस (वाहन) का किराया भुगतान नहीं किया जावेगा।
11. तीर्थयात्रा वापसी के समय रेल्वे समय–सारणी के अनुसार एक घण्टा पूर्व रायगढ़/बिलासपुर रेल्वे स्टेशन के पास वाहन, पर्याप्त मात्रा में POL के साथ लगाना होगा।
12. यात्रा समाप्ति उपरान्त तीन दिवस के अन्दर देयक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. कार्यालय द्वारा वाहन के लिए डीजल/मोबिल एवं अन्य व्यय हेतु अग्रिम राशि नहीं दी जाएगी।
14. वाहन में होने वाली खराबी, दुर्घटना के लिए वाहन मालिक जिम्मेदार होगा। इसके लिए पृथक से राशि देय नहीं होगी, तथा वाहन मालिक द्वारा पृथक से यात्री बस की व्यवस्था करनी होगी।
15. स्वीकृत निविदाकर्ता को यात्री वाहन (बस) लगाने का स्थान एवं समय की सूचना तीर्थयात्रा का कार्यक्रम (रेल्वे समय–सारणी) प्राप्त होने पर पृथक से सूचित किया जावेगा।
16. वाहन मालिक को यात्री वाहन का परमिट परिवहन कार्यालय से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
17. संबंधित वाहन चालक के पास यात्री वाहन संचालन का वैध एवं जीवित लायसेंस होना अनिवार्य है।
18. स्थानीय स्तर के फर्म को प्राथमिकता दी जावेगी।
19. निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार को बैंक विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
20. दो या दो अधिक फर्मों की एक समान दर प्राप्त होने पर जिला स्तरीय समिति के बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जायेगा जो निविदाकार को मान्य होगा। तथा सामग्री वाहन के किराए का भुगतान यात्रा समाप्ति उपरान्त वाहन मालिक द्वारा देयक प्रस्तुत करने के उपरान्त कलेक्टर महोदय के अनुमोदन पश्चात किया जावेगा।

21. निविदा शर्तों में संशोधन करनें निविदा स्वीकृत करने या निरस्त करने अथवा विवादापरद स्थिति में निर्णय करने का संपूर्ण अधिकार जिला स्तरीय समिति का होगा।

22. तीर्थयात्री वाहन परिचालन का रुट एवं संख्या निम्नानुसार है :-

क्र0	वाहन परिचालन रुट का नाम	सीट क्षमता	आवश्यक बस की संख्या	दर प्रति कि.मी.
1	मनोरा से रायगढ़ एवं रायगढ़ से मनोरा वापसी	32 सीटर बस	01 नग	
2	जशपुर से रायगढ़ एवं रायगढ़ से जशपुर वापसी	52 सीटर बस	01 नग	
3	दुलदुला से रायगढ़ एवं रायगढ़ से दुलदुला वापसी	32 सीटर बस	01 नग	
4	कुनकुरी से रायगढ़ एवं रायगढ़ से कुनकुरी वापसी	52 सीटर बस	01 नग	
5	फरसाबहार से रायगढ़ एवं रायगढ़ से फरसाबहार वापसी	35 सीटर बस	01 नग	
6	कांसाबेल से रायगढ़ एवं रायगढ़ से कांसाबेल वापसी	35 सीटर बस	01 नग	
7	बगीचा से रायगढ़ एवं रायगढ़ से बगीचा वापसी	35 सीटर बस	02 नग	
8	पत्थलगांव से रायगढ़ एवं रायगढ़ से पत्थलगांव वापसी	52 सीटर बस	02 नग	
9	जशपुर से बिलासपुर एवं बिलासपुर से जशपुर वापसी	40 सीटर बस	01 नग	

निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 26.06.2017 समय अपरान्ह 03.00 बजे तक।

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 27.06.2017 समय संध्या 05.00 बजे तक।

निविदा खोलने की तिथि 28.06.2017 अपरान्ह 03.00 बजे।

निविदा खोलने का स्थान – कार्यालय उप–संचालक, पंचायत जशपुर (छ.ग.)

उप संचालक,
समाज कल्याण,
जिला जशपुर (छ0ग0)